

बैकुण्ठपुर थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने बताया कि 4 मार्च 2025 को सलैया मोड़ के पास पीडित परशुराम शुक्ला को घेरकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी. इसके बाद आरोपी उनसे कीमती सामान और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गया था. आरोपी शुभाष सिंह भदौरिया को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया.